न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

[illegible]ण सख्या: 66 / 2020

[illegible]ार्थीगण :–

1. हीराराम पुत्र पेमाराम
2. रामाराम पुत्र पेमाराम
   जाति जाट निवासी नया कुआ तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. हुकमाराम पुत्र लाभूराम
2. मासींगाराम पुत्र मंगलाराम
3. अणसी पत्नी माहींगाराम जाति जाट
4. श्रीराम पुत्र भाखराराम
5. ओमप्रकाश पुत्र भाखराराम
6. बुधराम पुत्र भाखराराम जाति विश्नोई
   निवासी देवलनगर ग्राम पंचायत राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 13/08/21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्धान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 सरहद मौजा देवलनगर पटवार मण्डल राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 208 रकबा 41–15 बीघा एवं खसरा नम्बर 209 रकबा 11–17 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की [illegible] होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय [illegible] पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के [illegible] प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:51:50 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा देवलनगर पटवार मण्डल राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 208 रकबा 41–15 बीघा एवं खसरा नम्बर 209 रकबा 11–17 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आरजीटी रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13-8-21 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:51:50 IST
Reason: SelfAttested